

प्रेषक,

मदन सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

✓ पबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड,
देहरादून।

सभाज कल्याण अनुभाग-2.

देहरादून, 24 मार्च 2005

विषय : विकलांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकलांग शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के उद्देश्य से कौशल वृद्धि योजना प्रारम्भ की गई है। राष्ट्रीय विकलांग कल्याण वित्त एवं विकास निगम द्वारा पात्र विकलांग व्यक्तियों को कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण देने के लिए दिए जाने वाले अनुदान के सापेक्ष राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा बहन की जाने वाली 15 प्रतिशत की धनराशि की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जाती है ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वतः रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हो सकें। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवर्ती व्यय को 85 प्रतिशत तक की धनराशि अनुदान के रूप में राष्ट्रीय विकलांग कल्याण वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रदान की जाएगी।

प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु केवल केन्द्र सरकार के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, राज्य सरकार के संस्थान, अन्य राज्य सरकारों, कन्द्रीय प्रशिक्षित वित्तीय संस्थानों अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा सांसाइटी से प्रमाणित प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम को अग्रसारित किया जाएगा।

ऐसे प्रशिक्षण संस्थान प्रस्ताव के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बारे में सूचना अर्थात् पाठ्यक्रम विवरण, प्रशिक्षण की अवधि, पाठ्यक्रम मान्यता प्रमाणपत्र के साथ-2 संस्थान के मुख्य कार्यों का विवरण पूर्व में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, उप नियम एवं स्मृतिपत्र की प्रतियां, पंजीकरण का प्रमाणपत्र तथा पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां प्रस्तुत करनी।

प्रशिक्षण संस्थान को उम्मीदवारों की सूची चयन के उपरान्त निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवारों का चयन जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। जिसमें संस्थान का प्रातिनिधि भी उपस्थित रहेगा।

प्रशिक्षण शिक्षित बेरोजगारों का होगा जाएगा। एजेंसी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच का एवं शिक्षा का स्तर कम से कम इण्टरमीडियेट हो।

राष्ट्रीय विकलांग कल्याण वित्त एवं विकास निगम से स्वीकृति के उपरान्त प्रस्ताव को प्रमाणित उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को आवेदनित की जाएगी। प्रशिक्षण संस्थान का पाठ्यक्रम

हेतु दिए जाने वाले अनुदान की धनराशि एकमुश्त भुगतान नहीं की जाएगी। अपितु 30 प्रतिशत धनराशि पाठ्यक्रम के सन्तोषपूर्ण ढंग से पूर्ण होने के पश्चात भुगतान की जाएगी।

भवदीय,

(मदन सिंह)
सचिव।

संख्या : 501(1)/XVII(1)-2/2005-10(08)/2005, तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी, नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
उप सचिव।